न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमीलाल यादव आर.ए.एस

अस्थाई मुकदमा :– 58/23

1. सोहनराम पुत्र सहीराम जरिये संरक्षक पिता सहीराम पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू।

.....प्रार्थी

बनाम

1. बनाराम पुत्र आसुराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू।
2. सहीराम पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू।
3. संतु पुत्री बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू।
4. सुशीला पुत्री बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू।
5. सुन्दर पुत्री बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू।
6. मुन्नी देवी पत्नी भंवराराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू।
7. राकेश पुत्र भंवराराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू।
8. नानुराम पुत्र भंवराराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू।
9. पेमादेवी पत्नी भैराराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू।
10. उप पंजीयक, बीदासर जिला चूरू।
11. उप पंजीयक कातर छोटी जिला चूरू।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बीदासर जिला चूरू राजस्थान।

.....अप्रार्थीगण

01. हरीराम पुत्र सहीराम जरिये संरक्षक पिता सहीराम पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू।
02. सुमन पुत्री सहीराम जरिये संरक्षक पिता सहीराम पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू।
03. गोमती पुत्री सहीराम जरिये संरक्षक पिता सहीराम पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू।
04. बनी पुत्री सहीराम जरिये संरक्षक पिता सहीराम पुत्र बनाराम जाति जाट निवासी ग्राम उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू।

.....गौण अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.</u>

उपस्थित :– 01. श्री मनोज गोदारा, एडवोकेट प्रार्थी।

02. पैरोकार राज अप्रार्थी संख्या 12।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

–: आदेश :–

दिनांक :– 23-2-26

इस आदेश के द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा सपठित धारा 151 दीवानी प्रकिया संहिता का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है –

1. यह कि उपरोक्त उनवानी मूलवाद प्रार्थी द्वारा ठोस आधारों पर श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें प्रार्थी को पूर्णतया सफलता मिलने की संभावना है।

2. यह कि प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण एवं अप्राथी संख्या 1 एक ता 9 नो का वंशवृक्ष प्रार्थना पत्र को भलीभांति समझाने की लिए नीचे दर्शाया जा रहा है।

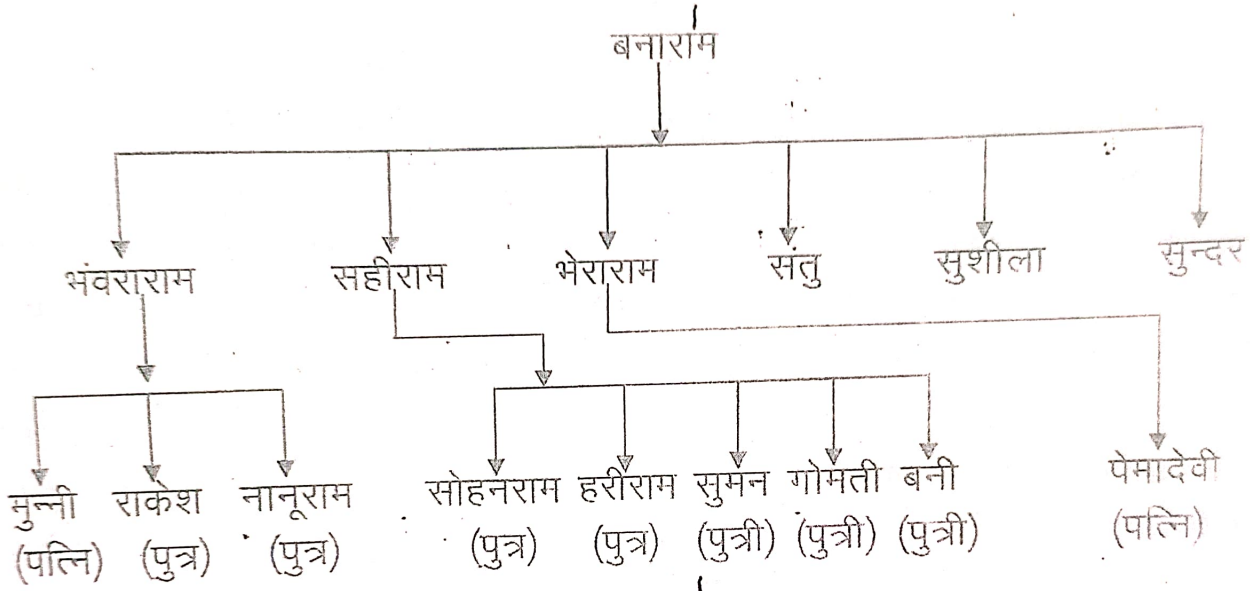

3. यह कि प्रार्थी के दादा बनाराम पुत्र आसुराम के खातेदारी कब्जा कास्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 11 ग्यारह तादादी 3.4146 तीन दशमलव चार एक चार छ हेक्टेयर भूमि वाकं रोही ग्राम उटालड तहसील वीदासर जिला चूरु में स्थित है जिसे आगे वाद में वादगत भूमि' के नाम से पुकारा गया है।

4. यह कि वादगत भूमि प्रार्थी, गौण अप्रार्थीगण व अप्रार्थी सख्या एक ता 9 नो की खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग की भूमि है। वादगत भूमि खेत प्रार्थी, गौण अप्राथीगण व अन्नार्थी संख्या 2 दो तां 9 नो की पैत्रिक व कोपार्सनरी सम्पति है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पौत्र पौत्री का जन्म से ही दादा की सम्पति में हिस्सा कायम हो जाता है। इस कारण वादगत भूमि में प्रार्थी, अप्रार्थी सख्या 2 दो व गौण अप्रार्थीगण प्रत्येक का 1/42 एक बट्टा वियालीस हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 एक का 1/7 एक बट्टा सात हिस्सा, अप्रार्थी सख्या 3 तीन ता 5 पांच प्रत्येक का 1/7 एक बट्टा सात हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 6छं ता 8 आठ तीनों का संयुक्त 1/7 एक बट्टा सात हिस्सा, अनार्थी संख्या 9 नो का 1/7 एक बट्टा सात हिस्सा नियत है।

5. यह कि प्रार्थी, गौण अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण वादगत भूमि में अपनी-अपनी हिस्सा भूमि को काश्त करते आ रहे है एंव वहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण था लेकिन पिछले एक साल से अप्रार्थी सख्या 01 एक के मन में बेइमानी आ

उपखण्ड अधिकारी
वीदासर (चूरू)

वह प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण से डांगडा करने लगा। इसलिए समाज के मुखियान ने वादगत खेत का प्रार्थी एव गौण प्रार्थीगण की हिस्सा भूमि का विभाजन कर अलग सीमा कायम कर दी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण ने अपनी अपनी हिस्सा भूमि काश्त कर ली लेकिन पुन अप्रार्थी सख्या 01 एक की नियत खराब हो गई। अप्रार्थी सख्या 01 एक प्रार्थी एक गौण अप्रार्थीगण को उनको हिस्सा भूमि से वंचित करना चाहता है। अप्रार्थी सख्या 01 एक वादगत भूमि को विक्रम हस्तातरण, रहन, वैद्य, वान पत्र के जरीये खुर्द बुर्द करने पर लगा हुआ है। इस कारण प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपने हिस्सा भूमि की घोषणा कराये। इस कारण पोषित किया जावे कि वादगत होत प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण के पैत्रिक कोपार्सनरी राम्पति के है. जिसमें प्राधी एवं गौण आगींगण एवं अप्रार्थी सख्या 02 दी संयुक्त रूम से 1/7 एक वढ़ा सात हिस्सा के खातेदार कृषक है। इस कारण प्रार्थी वादरात भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर राजस्व रेकार्ड में संशोधन करवाने का कानूनी अधिकारी है क्योंकि वादगत भूमि प्रार्थी एवं गौण अप्रार्थीगण के सयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कोपार्सगरी सम्पति की है।

6. यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थी सख्या 01 एक से राजस्व रेकार्ड में संशोधन कराने के लिए एक प्रार्थी की हिस्सा भूमि के कब्जा, कास्त उपयोग, उपभोग में बाधायें उत्पन्न नः करने के लिए दिनांक 01.11.2023 को निवेदन किया लेकिन वोह मानने से साफ इनकार हो गया। अणर्थी सख्या 01 प्रार्थी को ऐलानिया चमकिया दे रहा है कि उन्होंने वादगत भूमि को विक्रय करने की बात पक्की कर ली है व साई भी प्राप्त कर ली है। अब वो शीघ्र ही किसी अन्य के पक्ष में विक्रम पत्र निष्पादित करवाकर ही रहेगा। विक्रय पत्र तिष्यादित ना होने की सूरत में वादगत भूमि को वसीयत, दानपत्र करके ही रहेगा। यही दावे का कारण है। प्रार्थी को बाचाधार वादगत खेत पाथी के दादा के खातेदारी का होने से प्राप्त है।

7. यह कि प्रार्थी के साथ गौण अप्रार्थीगण का हित समान रूप से नियत है। गौण अप्रार्थीगण वर्तमान में गाव से बाहर होने के कारण उन्हें प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के रूप में पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सका और कानूनी आपत्तियों को मध्य नजर रखते हुए उन्हें वाद में गौण अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है।

8. यह कि वादगत भूमि में वर्तमान में प्रार्थी का नाम खातेदारी में अंकित नहीं होने के कारण अप्राथी संख्या 01 एक के मन में वेईमानी आ गई है। अप्रार्थी सख्या 01 एक वादगत खेत को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन आदि कर देगा तो प्रार्थी के अधिकारों के विपरित असर पड़ेगा। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 01 एक का बलपूर्वक मुकाबला करने में असमर्थ है इसलिए अप्रार्थीगण को न्यायालय से जरीये चिर निपेधाज्ञा की डिकी से वर्जित करवाया जाना आवश्यक हो गया है कि वोह प्रार्थी के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कोपार्सनरी सम्पति के खेत को जब तक रेकार्ड संशोधन नहीं हो जाता तव तक वादगत खेत के किसी भी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें। इस दोषपूर्ण कृत्य से यदि अप्रार्थीगण को नहीं रोका गया तो प्रार्थी को अपूर्तीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सुरत में पूर्ण नहीं हो पायेगी। अप्रार्थीगण को वर्जित किया जावे की वोह प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं हिस्सा की भूमि को काश्त करने से न रोके व ओर न ही उसको जवरंन हिस्से पाति की भूमि से वेदखल करें और ना ही कोई ऐसा कार्य करें जिससे प्रार्थी के वैध अधिकारों के विपरित प्रभाव पडता है।

उपखण्ड अधिकारी

9. यह कि प्रथम दृश्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपूर्तीय क्षति भी प्रार्थी को हो रही है।

10. यह कि प्रार्थना-पत्र अस्थायी निशेधाज्ञा प्राप्ति की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एव क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है।

11. यह कि प्रार्थना-पत्र अस्थायी निशेधाज्ञा प्राप्ति निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भीतर प्रस्तुत है।

12. यह कि अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज किये जायेगें।

प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि खेत खसरा संख्या 11 तादादी 3.4146 हैक्टेअर वाके रोही उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू जो कि प्रार्थी की पैतृक कोपार्सनरी सम्पति है जिसमें प्रार्थी का 1/42 हिस्सा नियत है। उक्त हेतु ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि भूमि को जब तक वादगत भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक विक्रय, हस्तानन्तरण, रहन, बंधक इत्यादि नहीं करें व प्रार्थीगण के कब्जा, काश्त में दखलअन्दाजी नहीं देवे व प्रार्थी को काश्त करने व फसल लेने, लाटने प्रवेश करने से रोके नहीं और न ही प्रार्थीगण के कानूनी अधिकारों के विपरित ऐसा कृत्य करें जिससे प्रार्थीगण के अधिकारों के विपरित असर पड़े।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया, अप्रार्थीगण को दिनांक 23.11.2023 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि रोही ग्राम उंटालड़ के खेत खसरा संख्या 11 तादादी 3.4146 हैक्टेअर के राजस्व रिकॉर्ड की व मौके की यथास्थिति बनाए रखे। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण समस्त बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः प्रकरण में जवाब प्रार्थना–पत्र बंद किया जाकर प्रकरण में एकतरफा बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि वो वाद के निस्तारण तक वादगत खेत खसरा संख्या 11 तादादी 3.4146 हैक्टेअर वाके रोही उंटालड़ तहसील बीदासर जिला चूरू की भूमि को जबतक वादगत भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक विक्रय, हस्तानन्तरण, रहन, बंधक इत्यादि नहीं करें व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी नहीं देवें व प्रार्थी को काश्त करने व फसल लेने, लाटने प्रवेश करने से रोके नहीं और न ही प्रार्थी के कानूनी अधिकारों के विपरित ऐसा कृत्य करें जिससे प्रार्थी के अधिकारों के विपरित असर पड़े।

आदेश दिनांक 23/2/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर